न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/10/2022	03.02.2022	15.06.2022

बउनवान

भीमराज उम्र करीब 63 वर्ष पुत्र श्री मांगेलाल नागर जाति खटीक निवासी मोहल्ला खदाना शहर अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान

––प्रार्थी वादी

बनाम

1– तहसीलदार भूमिधारी अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान

––असल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136
राज0 भू. राज0 अधि0

उपस्थितिः–
1.श्री महेश चन्द शर्मा वकील प्रार्थी।

: निर्णय :

वकीलवादी ने प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी गत खसरा नम्बर 167 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसका हाल आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 0.48 हैक्टेयर वाके ग्राम दाउदपुर तहसील व जिला अलवर का अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार जयनारायण पुत्र श्री नन्दकिशोर जाति चमार (हरिजन) निवासी मौहल्ला दारुकूटा अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान था। जिसने अपनी उक्त खातेदारी की आराजी का विक्रय मिन प्रार्थी व अन्य को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 26–10–1985 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 389 पृष्ठ संख्या 115 कार्यालय उप पंजीयक अलवर राजस्थान द्वारा कर दिया। जिस बयनामा के आधार पर इंतकाल बय संख्या 35 में मिन प्रार्थी व अन्य के हक में दर्ज व तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में मिन प्रार्थी व अन्य के नाम का अंकन हो गया। मिन प्रार्थी उक्त आराजी में अपने हिस्से का खरीददार काबिज खातेदार है। तथा वक्त खरीद से आज तक मौके पर काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। मिन प्रार्थी उक्त विवादित आराजी में अपने हिस्से का अभिलिखित काबिज खातेदार है। मिन प्रार्थी का वास्तविक नाम व पता भीमराज पुत्र श्री मांगेलाल नागर जाति खटीक निवासी मौहल्ला खदाना शहर अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान हैं, लेकिन कानून व जाब्ता के खिलाफ उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

ताहाल जमाबन्दी आदि में गलत इन्द्राज बंदोबस्त/राजस्व कर्मचारियों ने मिन प्रार्थी के नाम नीमराज पुत्र श्री मांगेलाल नागर अंकित कर दिया हैं। जबकि राजस्व विभाग के कर्मचारियान को इन्द्राज भीमराज पुत्र श्री मांगेलाल नागर दर्ज करना चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, व गलत तरीक पर उक्त आराजी जो मिन प्रार्थी की खातेदारी की हैं, उसमें मिन प्रार्थी का नाम भीमराज के बजाय नीमराज दर्ज कर दिया। जो इन्द्राज गलत हैं, और खिलाफ कानून व खिलाफ मौका हैं।

इसलिए उक्त इन्द्राज मिन प्रार्थी के अधिकारों के खिलाफ बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबंदी हैं। और कलमजन किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी के सभी पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा यह परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में उसका नाम भीमराज पुत्र श्री मांगेलाल नागर जाति खटीक निवासी मौहल्ला खदाना शहर अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान अंकित हैं। इसलिए उक्त गलत इन्द्राज ताहाल राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर मिन प्रार्थी का नाम नीमराज के बजाय भीमराज दर्ज कराया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट ली गई है। तहसीलदार अलवर अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि मुताबिक संलग्न प्रार्थना पत्र प्रार्थी भीमराज पुत्र मांगेलाल नागर जाति खटीक निवासी खदाना मौहल्ला तहसील व जिला अलवर हाल ख0न0 122 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम दाउदपुर तहसील अलवर में प्रार्थी अपना नाम नीमराज के स्थान पर भीमराज करवाये जाने का अनुतोष चाहता है। मुताबिक नामा0 संख्या 35 दिनांक 10.04.1993 साबिक ख0न0 167 रकबा 1111)3 हाल ख0न0 122 रकबा 0.48 है0 भीमराज पुत्र मांगेलाल नागर वगै0 के नाम दर्ज हो कर स्वीकृत हुआ। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2051 में साबिक ख0न0 167 रकबा 1111)3 का हाल ख0न0 122 रकबा ——0.48 कायम हुआ। मुताबिक मिसल बन्दोबस्त संवत 2051 खाता संख्या 98 में साबिक ख0न0 167 रकबा 1111)3 हाल ख0न0 122 रकबा 0.48 है0 में नीमराज पुत्र मांगेलाल नागर वगै0 खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक हाल आनलाईन जमाबंदी ख0न0 122 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम दाउदपुर तहसील अलवर में अन्य खातेदारान के साथ नीमराज पुत्र मांगेलाल नागर हि0 4171 / 80000 जाति खटीक नि0 मौ. खदाना खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अपना नाम ख0न0 122 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम दाउदपुर तहसील अलवर में नीमराज पुत्र मांगेलाल के स्थान पर भीमराज पुत्र मांगेलाल दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहता है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार अलवर रिपोर्ट का अवलोकन किया। विवादित आराजी सान्विक 167 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम दाउदपुर हाल खसरा नम्बर 122 रकबा 0.48 है0 खातेदार जयनारायण से प्रार्थी व अन्य ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की। बयनामा में प्रार्थी का नाम भीमराज पुत्र मांगेलाल का अंकन है। बयनामा का इन्तकाल सं. 35 दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया । इन्तकाल सं. 35 में भी भीमराज का अंकन है। किन्तु इन्तकाल का अमल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2051 में करते वक्त भीमराज के स्थान पर नीमराज का अंकन हो गया। उक्त इन्द्राज हाल रिकार्ड तक चला आ रहा है। उक्त त्रुटि "स्लिपिग आफ पैन" प्रतीत होती है। जो दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2070–2074 ग्राम दाउदपुर के खाता स. 41 खसरा नम्बर 122

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

रकबा 0.4800 है0 के क्रम संख्या 6 पर दर्ज नाम नीमराज के कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर भीमराज दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष सभी इन्द्राज यथावत रहेगें।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर